

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज० जयपुर
क्रमांक एफ.4 (ई) (1)(नि.प.48/11)/अलेसे-गा/ १०५१२-१०५२० दिनांक :— १६/१२/१३

आदेश संख्या ३२३/ २०१३-१४

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) रीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशांतनुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी को एतद द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कणिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि रो दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/- (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे-बैण्ड(2) 9300-34800 में ग्रेड पे 3600 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि रो एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग / कार्यालय में दिनांक 27.12.2013 तक अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप रो देकर इस विभाग को सूचित करेंगे अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश खतः निरस्त समझे जावेंगे ।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	त्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	48	302611	राधेश्याम, पुत्र श्री छोटूशंग वार्ड नं. 10 (नपा) आदर्श कॉलोनी, क्वाईट हाउस के नजदीक, सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, पिन कोड 335804	24-05-1975	श्रीगंगानगर	GE	कोलालय, जैसलमेर	

उपरोक्त अभ्यर्थियों की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है—

- उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा रवीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निवन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, श्री.आई.डी (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के रांबंध में संतोषजनक प्रमाण—पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रुपये के नींव ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उरासे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किरी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार रो अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आवरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त वियुक्त कर सकेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण / अर्हता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में रथायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

11. उक्त नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व गुटखा एवं धूमपान न करने के संबंध में वचनाबद्धता पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावें ।
13. अभ्यर्थी से विवाह के समय दहेज प्राप्त न करने का धोषणा पत्र जिस पर पत्नि, पिता एवं श्वसुर के हस्ताक्षर हो प्राप्त किया जाकर प्रति इस विभाग मे भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें ।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा रेंडा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा ।
इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमाक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।


 (वीरबाला जोशी)
 निदेशक

दिनांक :- 16/12/13

क्रमांक एफ.4 (ई)(१)(नि.प.४८/११)/अलेसे-१३/ १०५१२-१०५२०

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. विगागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष

- द्वारा उनके कार्यालय में उपरिथित देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वारूप परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उसरो उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपरिथित रवीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें ।
4. श्री राधेश्याम पुत्र श्री छोटरामबाई न. 10 (गपा)आदर्श कॉलोनी, व्हाईट हाउस के नजदीक, सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, पिन कोड 335804 को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम रखें 8 में दिनांक 27.12.2013 तक आवश्यक रूप से उपरिथित होकर उपरिथित रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
 5. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
 6. निजी सहायक, निदेशक
 7. गोपनीय शाखा
 8. रक्षित / निजी पत्रावली


 (महेन्द्र सिंह भूकर)
 अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-१)